

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ईसीआई/41/2015

दिनांक : 4 जून, 2015

## प्रेस नोट

विषय : स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन।

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों की पदावधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति के कारण उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तिथि को समाप्त होने जा रही है:-

क्रम सं.	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	पटना	बाल्मीकि सिंह	16.07.2015
2.	नालंदा	राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू यादव	16.07.2015
3.	गया-सह-जहानाबाद सह-अरवल	अनुज कुमार सिंह	16.07.2015
4.	औरंगाबाद	राजन कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह	16.07.2015
5.	नवादा	सलमान रागीव	16.07.2015
6.	भोजपुर-सह-बक्सर	हुलास पाण्डेय	16.07.2015
7.	रोहतास-सह-कैमूर	कृष्ण कुमार सिंह	16.07.2015
8.	सारण	सलीम परवेज़	16.07.2015
9.	सिवान	टुन जी पाण्डेय	16.07.2015
10.	गोपालगंज	सुनील कुमार सिंह	16.07.2015
11.	पश्चिम चम्पारण	राजेश राम	16.07.2015
12.	पूर्व चम्पारण	रेणु सिंह	16.07.2015
13.	मुजफ्फरपुर	दिनेश प्रसाद सिंह	16.07.2015
14.	वैशाली	राजेन्द्र राय	16.07.2015
15.	सीतामढ़ी-सह-शिवहर	बैद्यनाथ प्रसाद	16.07.2015
16.	दरभंगा	मिश्री लाल यादव	16.07.2015
17.	समस्तीपुर	रोमा भारती	16.07.2015

18.	मुंगेर-सह-जमुई-सह-लखीसराय-सह-शेखपुरा	संजय प्रसाद	16.07.2015
19.	बेगूसराय-सह-खगड़िया	रजनीश कुमार	16.07.2015
20.	सहरसा-सह-मधेपुरा-सह-सुपौल	मो. इसराइल राइन	16.07.2015
21.	भागलपुर-सह-बाँका	मनोज यादव	16.07.2015
22.	मधुबनी	बिनोद कुमार सिंह	16.07.2015
23.	पूर्णियाँ-सह-अररिया-सह-किशनगंज	डा. दिलीप कुमार जायसवाल	16.07.2015
24.	कटिहार	अशोक कुमार अग्रवाल	16.07.2015

आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन कराए जाने का निर्णय लिया है:-

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	तारीख एवं दिन
1.	अधिसूचना जारी करना	11 जून, 2015 (गुरुवार)
2.	नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख	18 जून, 2015 (गुरुवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	19 जून, 2015 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	22 जून, 2015 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	7 जुलाई, 2015 (मंगलवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
7.	मतों की गणना	10 जुलाई, 2015 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 8.00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	14 जुलाई, 2015 (मंगलवार)

ऐसे जिले जिनमें उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित हैं, मैं तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों के विरूपण के संबंध में विधान सभा के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तथा भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेश भी लागू हो जाएंगे। इस निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के लिए प्रयोज्य प्रावधानों के संबंध में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए गए हैं।

(धीरेन्द्र ओझा)  
निदेशक